



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 220 राँची, मंगलवार,

26 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

27 अप्रैल, 2020

संख्या-5/आरोप-1-81/2017-5254 (HRMS)-- श्री विजय कुमार नं०-2, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचाँची के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3248, दिनांक 22.06.2017 द्वारा प्रपत्र-क में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

प्रपत्र-क में श्री कुमार के विरुद्ध दिनांक 20.04.2017 को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभुकों का शत-प्रतिशत एफ०टी०ओ० साईन करने संबंधी दिये गये निदेश की अवहेलना करने, पी०एम०जी०वाई० ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कुल 1215 इकाई आवास के विरुद्ध मात्र 1135 आवासों का जियो टैगिंग, मनरेगा अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम प्रतिदिन 100 मानव दिवस प्रति ग्राम पंचायत के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 34 मानव दिवस के सृजन, कुल 846 डोभा निर्माण लक्ष्य के विरुद्ध 536 पर ही कार्य आरंभ, मात्र 20% जॉब कार्डधारियों का सत्यापन, दिनांक 15.03.2017 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण पूर्ण किये जाने के निदेश के विपरीत एक भी आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण कार्य पूर्ण न होना, मनरेगा अन्तर्गत पुरानी योजनाओं को पूर्ण कर एम०आई०एस० में बसवेम करने संबंधी निदेश की अवहेलना, मनरेगा अन्तर्गत 12% विलम्बित मजदूरी भुगतान एवं 9% परिसम्पत्तियों का ही जियो टैगिंग संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8207, दिनांक 19.07.2017 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-1590, दिनांक 22.08.2017 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित

किया गया। श्री कुमार द्वारा अपने स्पष्टीकरण में दिनांक 20.08.2017 तक शत-प्रतिशत लाभकों का एफ0टी0ओ0 साईन करने, पी0एम0जी0वाई0 ग्रामीण योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत निबंधन एवं जियो टैगिंग किये जाने, मनरेगा अन्तर्गत माह जुलाई, 2017 तक 91.69% मानव दिवस सृजन का लक्ष्य पूर्ण करने, निर्धारित लक्ष्य 847 के विरुद्ध 935 डोभाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देने, 92.24% जॉब कार्डधारियों का सत्यापन, कुल 81.5% योजनाओं का asset आई0डी0 सृजित करने, 44.3% योजनाओं का जियो टैगिंग एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं इसके पूर्व की कुल 581 लम्बित योजनाओं में 308 योजनायें पूर्ण कर लिये जाने का उल्लेख किया गया है तथा इनके मेरे द्वारा यह भी कहा गया कि कभी भी उच्चाधिकारियों के द्वारा दिए आदेश की कभी अवहेलना नहीं की गई है और न ही योजनाओं के कार्यान्वयन में उदासीनता बरती गई है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं आरोपों पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि-

(i) दिनांक 19.08.2017 को एम0आई0एस0 प्रतिवेदन के अनुसार कुल 16 आंगनबाड़ी केन्द्रों भवनों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 05 भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया एवं शेष 11 भवनों में भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ जबकि दिनांक 15.03.2017 तक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों भवन का निर्माण कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया था।

(ii) दिनांक 18.08.2017 को मनरेगा एम0आई0एस0 प्रतिवेदन के अनुसार तोपचाँची प्रखण्ड में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं इसके पूर्व की 273 योजनायें लम्बित हैं, जो ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-2877, दिनांक 24.11.2016 द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन है।

(iii) दिनांक 20.08.2017 तक मनरेगा अन्तर्गत मात्र 44.3% परिसम्पत्तियों ही जियो टैगिंग की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री विजय कुमार नं0-2, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचाँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री विजय कुमार नं0-2, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	VIJAY KUMAR JHK/JAS/219	श्री विजय कुमार नं0-2, झा0प्र0से0 (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला-पलामू), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तोपचाँची के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
